

भारत में बाँध प्रबंधन

प्रलमिस के लयि:

कारम नदी में बाँध प्रबंधन, नरुमदा नदी, भारत के बाँध, भारत में बाँधों का वनियमन

मेनुस के लयि:

भारत के पुराने बाँधों और उठाये जाने वाले कदम से संबंघति में चतिाएँ

चरुचा में क्योँ?

हाल ही में [नरुमदा](#) की सहायक कारम नदी पर बन रहे "कारम बाँध" का बाहरी हसिसा ढह गया ।

- बाँध सुरकषा अधनियम, 2021 में कृछ शरुतों के साथ उन बांधों को शामलि कयिा गया है जनिकी ऊँचाई 15 मीटर से अधकि और 10 मीटर से 15 मीटर के बीच है ।

नरुमदा नदी

- परचिय:
 - नरुमदा पुरायदवीपीय कषेतर की सबसे बड़ी पशुचमि की ओर बहने वाली नदी है जो उत्तर में वधिय रेंज और दकषणि में सतपुड़ा रेंज के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है ।
- उदगम:
 - यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मैकला श्रेणी से नकिलती है ।
- अपवहन-कषेतर:
 - यह महाराष्टर और गुजरात राज्यों के कृछ कषेतरों के अलावा मध्य प्रदेश में एक बड़े कषेतर में जल प्रवाहति होता है ।
 - जबलपुर (मध्य प्रदेश) के पास नदी धुआँधार जलप्रपात बनाती है ।
 - नरुमदा के मुहाने में कई दवीप हैं जनिमें से आलयािबेट सबसे बड़ा है ।
- प्रमुख सहायक नदयिाँ: हरिन, ओरसांग, बरना और कोलार ।
- बेसनि में प्रमुख जल वदियुत परयिोजनाएँ: इंदरिा सागर, सरदार सरोवर आदि ।
- नरुमदा बचाओ आंदोलन (NBA):
 - यह नरुमदा नदी पर कई बड़ी बाँध परयिोजनाओं के खलिाफ जनजातयिों (आदवासयिों), कसानों, पर्यावरणवदिों और मानवाधकिार कारुयकरुताओं द्वारा संचालति भारतीय सामाजकि आंदोलन है ।
 - गुजरात में सरदार सरोवर बांध नदी पर सबसे बड़े बाँधों में से एक है और आंदोलन के पहले केंद्र बदिुओं में से एक था ।
 -

बाँध सुरकषा अधनियम, 2021:

- परचिय:
 - बाँध सुरकषा अधनियम 2021 का उददेश्य देश भर में सभी नरिदषिट बाँधों की नगिरानी, नरिीकषण, संचालन और रखरखाव करना है ।
 - यह अधनियम देश में सभी नरिदषिट बाँधों पर लागू होता है, यानी वे बाँध जनिकी ऊँचाई 15 मीटर से अधकि और 10 मीटर से 15 मीटर के बीच कृछ नशिचति डजाइन और संरचनात्मक सथतियिों के साथ है ।
- प्रावधान:
 - यह दो राषुट्रीय नकियाँ का गठन करता है:

- **बाँध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति:**
 - इसके कार्यों में बाँध सुरक्षा के संबंध में नीतियों को विकसित करना और वनियमों की सफ़ारिश करना शामिल है।
- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण:**
 - इसके कार्यों में राष्ट्रीय समिति की नीतियों को लागू करना और राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (SDSOs), या SDSO और उस राज्य के किसी भी बाँध प्राधिकरण के बीच के मामलों को हल करना शामिल है।
- **इसमें दो राज्य निकाय भी शामिल हैं:**
 - **राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSOs):**
 - इसके कार्यों में बाँधों की सतत निगरानी, नरीक्षण और मॉनीटरिंग शामिल है।
 - **राज्य बाँध सुरक्षा समिति:**
 - यह राज्य बाँध पुनरवास कार्यक्रमों की निगरानी, SDSO के काम की समीक्षा और बाँध सुरक्षा के संबंध में अनुशंसित उपायों पर प्रगति की समीक्षा करेगा।
- **बाँध प्राधिकरण की बाध्यताएँ:**
 - बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुसार, सभी नरिदष्ट बाँधों का वर्ष में दो बार; मानसून पूर्व और मानसून के बाद की अवधि के दौरान नरीक्षण किया जाना आवश्यक है।
 - बाँध के सुरक्षित निर्माण, संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिये बाँध प्राधिकरण ज़िम्मेदार होंगे।
 - उन्हें प्रत्येक बाँध में एक बाँध सुरक्षा इकाई उपलब्ध करानी होगी।
 - **यह इकाई बाँधों का नरीक्षण करेगी:**
 - मानसून के मौसम से पहले और बाद में
 - प्रत्येक **भूकंप, बाढ़**, आपदा या संकट के किसी भी संकेत के दौरान और बाद में।
 - **बाँध प्राधिकरण के कार्यों में शामिल हैं:**
 - आपात कार्य योजना तैयार करना।
 - नरिदष्ट नियमि अंतरालों पर जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करना।
 - विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से व्यापक बाँध सुरक्षा मूल्यांकन तैयार करना।
- **दंड:**
 - अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के नरिदहन में बाधा डालने या नरिदेशों का पालन करने से इनकार करने वाले को एक वर्ष के लिए जेल हो सकती है। जीवन की हानि के मामले में, व्यक्ति को दो साल की कैद हो सकती है।
- **अधिनियम के साथ समस्यारें:**
 - **अंतरराज्यीय नदी बाँधों पर कानून बनाने के संदर्भ में संसद के अधिकार क्षेत्र:**
 - यह अधिनियम देश के सभी नरिदष्ट बाँधों पर लागू होता है। **संवधान** के अनुसार राज्यों के पास पानी के मामलों पर, जसिमें जल संरक्षण और जल से ऊर्जा बनाना शामिल है, उस पर कानून बना सकते हैं (राज्य सूची की प्रवर्षि 17)।
 - हालाँकि **संसद** अंतर-राज्यीय नदी घाटियों को वनियमि और विकसित कर सकती है यदि वह इसे जनहति में आवश्यक समझे (संघ सूची की प्रवर्षि 56)।
 - क्या संसद के पास पूरी तरह से एक राज्य के भीतर बहने वाली नदियों पर बाँधों को वनियमि करने का अधिकार है।
 - **अधिसूचना के माध्यम से अधिकारियों के कार्यों को बदलना:**
 - बाँध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण और बाँध सुरक्षा पर राज्य समिति के कार्यों को अधिनियम की अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया है।
 - इन अनुसूचियों में सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है।
 - प्रश्न यह है कि क्या प्राधिकारियों के मुख्य कार्यों में अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया जाना चाहिये या क्या ऐसे संशोधन संसद द्वारा पारित किये जाने चाहिये।

आगे की राह

- बाँध सुरक्षा सुनिश्चि करने में सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू वास्तविक हतिधारकों के वचिरों को ध्यान में रखते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता का होना है, हालाँकि बाँधों से नीचे की ओर रहने वाले लोग अधिक जोखिम वाले समूह हैं।
- परचालन सुरक्षा के संदर्भ में नयिम वक्क जो यह तय करता है कि बाँध को कैसे संचालित किया जाना चाहिये जब एक बाँध प्रस्तावित किया जाता है, साथ ही पर्यावरणीय परवर्तनों जैसे कि गिाद और वर्षा प्रतरूप के आधार पर नयिमि अंतराल पर अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। क्योकिये बाँध में आने वाली बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता के साथ-साथ सपलिवे क्षमता को भी बदल देंगे।
 - **नयिम वक्क को भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये ताकि लोग इसके सही कामकाज पर नज़र रख सकें और इसकी अनुपस्थिति में सवाल उठा सकें।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षो के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. मान लीजिये कि भारत सरकार एक ऐसी परवतीय घाटी में एक बाँध का नरिमाण करने की सोच रही है, जो जंगलों से घरि है और जहाँ नृजातीय समुदाय रहते हैं. अप्रत्याशति आकस्मकिताओं से नपिटने के लिये सरकार को कौन-सी तरकसंगत नीति का सहारा लेना चाहिये? (मुख्य परीक्षा, 2018)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/dam-management-in-india>

